न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/दतिया/भूरा/2017/2700 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 19.04.17 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 246/अपील/2013–14.

....

1–सुनील कुमार 2–सुधीर कुमार
3–सीमित कुमार पुत्रगण श्री काशीप्रसाद पटैरिया
4–श्रीमती रामरती पुत्री स्व0 श्री रामदास पत्नी
श्री काशी प्रसाद पटैरिया
निवासीगण ग्राम पिपरौआ कला
तहसील भाण्डेर जिला दतिया म0 प्र0

––– आवेदकगण

विरूद्ध

1–महिला रामकुमारी पत्नी श्री कमलेश तिवारी
2–रामसखी पत्नी श्री राम कुमार दीक्षित
निवासीगण ग्राम करैयनपुर दीक्षित डेरा
कस्बा चिरगांव तहसील मोंठ जिला झांसी उ0प्र0

––– अनावेदकगण

....

श्री एम0 पी0 भटनागर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0 पी0 धाकड़ अभिभाषक, अनावेदकगण

....

आदेश

(आज दिनांक 12-10-18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.04.17 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण का संक्षेप में सारांश इस प्रकार है कि ग्राम पिपरौआ कलां तहसील भाण्डेर जिला दतिया में स्थित भूमि खाता कमांक 531/6–7 सर्वे कमांक 1792 मिन 1793, 1849 मिन 2137, 2148, 2149 मिन कुल किता 06 कुल रकवा 03.38 है0 में से भाग 187/338 एवं खाता कमांक 31/6–7 सर्वे कमांक 2147 रकबा 0.26 है0 के संपूर्ण भाग के अभिलिखत भूमि स्वामी रामदास पुत्र लक्षमीनारायण थे। अभिलिखत भूमिस्वामी रामदास की मृत्यु हो जाने के कारण प्रश्नाधीन भूमियों पर वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण कराये जाने बावत एक आवेदन पत्र आवेदक कमांक–1 लगायत 3 के द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 8/अ–6/2013–14 पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 30.1.14 से आवेदकगण 1 लगायत 3 के द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामे को संदिग्ध मानते हुये प्रश्नाधीन भूमियों पर मृतक रामदास के स्थान पर वारिसान के आधार पर रामरती, राजकुमारी, रामसखी पुत्रियां रामदाास के नाम नामांतरण स्वीकार किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.1.14 से परिवेदित होकर आवेदकगण 1 लगायत 3 के द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 07/अपील/2013–14 दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 4.4.14 से स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.1.14 निरस्त करते हुये प्रश्नाधीन भूमियों पर वसीयतनामे के आधार पर आवेदकगण कमांक 1 लगायत 3 के नाम नामांतरण स्वीकार किया गया। इससे दुखित होकर अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा प्रकरण कमांक 246/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 19.4.17 को स्वीकार की गई, इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। निगरानी के साथ धारा–5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है।

3–आवेदक के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। अपनी लेखी बहस में लेख किया गया है कि अभिलिखित भूमिस्वामी रामदास पुत्र लक्ष्मी नारायण ग्राम पिपरौआ कलां थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 6.6.07 को हो गई थी, उनके द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 19.5.07 को एक लिखतम वसीयतनामा आवेदकगण के हक में निष्पादित किया गया था जिसके आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र विचारण न्यायालय में दिया जिसे विचारण न्यायालय के प्रकरण

क्रमांक 24 / अ–6 / 2006–07 पर दर्ज करते हुये इश्तहार जारी किया गया। इश्तहार बाद तामील प्राप्त होने पर कोई आपत्ति नहीं आई। प्रार्थी सुनील कुमार के कथन व साक्षी रामजीशरण रावत तथा सुशीला के कथन कराये गये पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई प्रार्थी सुनील कुमार का कथन है कि मेरे नाना रामदास की मृत्यु हो गई है, मेरे नाना के वसीयतनामा पर हस्ताक्षर है। वसीयत पर मामा व नानी के गवाह के रूप में हस्ताक्षर हैं, मामा की शादी नहीं हुई वह मंदिर में रहते हैं, वसीयतनामा के आधार पर हम तीनों भाईयों का नामांतरण किया जावे। विचारण न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं आने पर तथा नानी एवं मामा द्वारा नामांतरण पर कोई आपत्ति नहीं की गई जिसके अनुसार नामांतरण किया गया। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा अभिलेख को नजर अंदाज करते हुये एवं प्रकरण के सभी तथ्यों पर विचार न करते हुये केवल वसीयतनामा को इस बात पर संदिग्ध मानते हुये कि निगरानीकर्तागण द्वारा वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण कराये जाने बावत प्रस्तुत आवेदन पत्र जो कि संपूर्ण आवेदन पत्र टाइप शुदा है, किन्तु वसीयतनामा दिनांक 19.5.07 को संपादित किया गया है वह दिनांक 19. 5.07 आवेदन में टाईप के समय खाली छोडी गई थी जिसे वाद में हाथ से 19.5.07 लिखा गया है, जबकि अपर आयुक्त द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि वसीयतनामा में नीचे से दूसरी लाईन पर दिनांक 19.5.07 अंकित है। इसलिये वसीयतनामा के आधार पर किया गया नामांतरण सही है। अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा कल्पना व कयास पर आधारित आदेश पारित किया हैं जबकि मृतक रामदास का भरण पोषण किया कर्म साक्षी के कथन के अनुसार आवेदकगण द्वारा किया गया है। उनका तर्क यह भी है कि तहसीलदार भाण्डेर के आदेश दिनांक 24.8.07 के तहत नामांतरण किया गया है वह वसीयत साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार एवं साक्ष्य द्वारा वसीयतनामा प्रमाणित किया गया है, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वसीयतनामा को सही बताया गया है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 4.4.14 स्थिर रखते हुये, अपर आयुक्त ग्वालियर का आदेश दिनांक 19.4.17 निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि, अभिलिखित भूमिस्वामी मृतक रामदास पुत्र लक्ष्मीनारायण के द्वारा कोई वसीयत नहीं किया गया है। उक्त वसीयत फर्जी एवं बनावटी तथा कपटपूर्ण थी। उक्त वसीयत के आधार पर भूमिस्वामी रामदास की मृत्यु हो जाने के कारण प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण कराये जाने के आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, अनावेदकगण कमांक 1, 2 एवं आवेदिका कमांक–4 रामरती एक मात्र पुत्रियां होने से वैध उत्तराधिकारी मानते हुये तीनों पुत्रियों के नाम समान भाग पर नामांतरण आदेश तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.1.14 को पारित किया है। अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क में यह भी कहा गया है कि मृतक के वैध वारिसान होते हुये भी एक पुत्री के पुत्र पुत्रियों के नाम कैसे वसीयत की जा सकती है। अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया है कि अपर आयुक्त ग्वालियर के आदेश के विरूद्व इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है वह समयावधि वाह्य है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण की वसीयत को केवल कल्पनाओं के आधार प्रमाणित माना हैं जबकि वसीयतनामा गवाहों द्वारा प्रमाणित होना चाहिये , वसीयत को सिद्व करने से पूंर्व वसीयत के दोनों गवाह फौत हो चुके हैं। इस कारण यह तथ्य आवेदकगण भी स्वीकार कर चुके हैं। तथा अनावेदकगण भी मानते हैं कि वसीयत के दोनों गवाह मृतक हो चुके हैं। तहसील न्यायालयों के समक्ष दोनों गवाहों के शपथ पत्र विचारण न्यायालय की प्रकरण पत्रिका में संलग्न हैं किन्तु उक्त शपथ पत्र किस दिनांक को तैयार किये गये हैं, इसका कोई उल्लेख नहीं है। वसीयतनामा साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 68 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रमाणित होना चाहिये। अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर के समक्ष भी वसीयत प्रमाणित नहीं हुआ है, वसीयत बिना प्रमाणित कराये सीधा नामांतरण आदेश दिनांक 4.4.14 पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी निरस्त कर अपर आयुक्त ग्वालियर का आदेश दिनांक 19.4.17 स्थिर रखा जावे।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण की लेखी बहस का अध्ययन किया गया। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया गया। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत धारा–5 का आवेदन सदभाविक होने से स्वीकार किया जाता है। प्रकरण के अध्ययन एवं अवलोकन से प्रतीत होता है कि ग्राम

पिपरौआ कलां तहसील भाण्डेर जिला दतिया में स्थित भूमि खाता कमांक 531/6–7 सर्वे कमांक 1792 मिन 1793, 1849 मिन 2137, 2148, 2149 मिन कुल किता 06 कुल रकवा 03.38 है0 में से भाग भाग 187/338 एवं खाता कमांक 31/6–7 सर्वे कमांक 2147 रकबा 0.26 है0 के संपूर्ण भाग के अभिलिखत भूमि स्वामी रामदास पुत्र लक्षमीनारायण थे। अभिलिखत भूमिस्वामी रामदास की मृत्यु हो जाने के कारण प्रश्नाधीन भूमियों पर वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण कराये जाने बावत एक आवेदन पत्र आवेदक कमांक–1 लगायत 3 के द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 74/अ–6/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 24.8.07 द्वारा आवेदकगण का मृतक खातेदार के स्थान पर नामांतरण स्वीकार किया गया। अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई किन्तु उसका निराकरण गुण दोष पर नहीं हो सका क्यों कि अनावेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर दिया गया था। अपर कलेक्टर जिला दतिया द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया, जिसकी अपील अपर आयुक्त ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा गया, इससे दुखित होकर इस न्यायालय में निगरानी 1318/08 पर दर्ज हुई लेकिन आवेदकगण द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाने के कारण वापिस लिया गया। इसलिये विभिन्न न्यायालयों के न्याय निष्कर्षो सहित प्रकरण पुनः तहसील न्यायालय में संचालित हुआ। तहसीलदार द्वारा अपना अंतिम निष्कर्ष निकालते हुये वारिसानों के आधार पर नामांतरण किये जाने के आदेश दिनांक 30.1.13 को दिये गये।

6–तहसीलदार के प्रकरण के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदकगण द्वारा अपना वसीयतनामा दिनांक 19.5.2007 को भली भांति सिद्व किया है फिर भी तहसीलदार द्वारा वसीयतनामा संदिग्ध मानने में भूल की है क्यों कि तहसीलदार के प्रकरण के पृष्ठ 72 पर सुशीला बेबा रामदास रावत का शपथ पत्र संलग्न है जिसमें उनके द्वारा वसीयतनामा दिनांक 19.5.2007 के आधार पर नामांतरण करने की सहमति दी है, अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस के पैरा–6 में लेख किया है कि शपथ पत्र में कोई दिनांक अंकित नहीं है, जबकि शपथ पत्र में दिनांक 22.10.07 अंकित है जिससे उनका तर्क बलहीन है। इसी प्रकार

तहसीलदार के प्रकरण के पृष्ठ 74 पर रामजीशरण पिता रामदास रावत का शपथ पत्र संलग्न है जिसमें उनके द्वारा वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण की सहमति दी गई है। रामजी शरण द्वारा तहसीलदार के प्रकरण की आदेश पत्रिका दिनांक 6.10.10 पर हस्ताक्षर किये गये है जो शपथ पत्र में किये हस्ताक्षर से मिलान खाते हैं। वसीयतनामा का निष्पादन तो हुआ है, जहां तक वसीयत संपत्ति का पैत्रिक होने का प्रश्न है यह सिद्वभार अनावेदकगण पर जाता है, इस बावत उनके द्वारा प्रकरण में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। विचारण न्यायालय द्वारा वसीयतनामा संदिग्ध मानने में त्रुटि की गई है और अपर आयुक्त द्वारा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है, अपर आयुक्त द्वारा मात्र यह कहते हुये प्रकरण निरस्त कर दिया गया है कि वसीयतनामे पर दिनांक अंकित नहीं है, जो दिनांक 19.5.2007 अंकित है वह हाथ से लिखी गई है। जबकि तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत वसीयतनामे में नीचे से दूसरी लाइन में टाइप से दिनांक 19.5.2007 अंकित है और साक्षियों के शपथ पत्र में स्पष्ट लेख किया गया है कि दिनांक 19.5.2007 की वसीयतनामें से वह सहमत हैं। इस ओर विचारण न्यायालय द्वारा एवं अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा ध्यान ही नहीं दिया गया है जिससे तहसीलदार तहसील भाण्डेर का आदेश दिनांक 30.1.14 एवं अपर आयुक्त ग्वालियर का आदेश दिनांक 19.4.17 त्रटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

7–उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील भाण्डेर का प्रकरण क्रमांक 18/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 30.1.14 एवं अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 246/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 19.4.17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी का प्रकरण क्रमांक 7/2013–14/अपील में पारित आदेश दिनांक 4.4.14 स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर